



उ० प्र० राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि०
(उ० प्र० सरकार का उपक्रम)
शक्ति भवन / शक्ति भवन विस्तार
14. अशोक मार्ग, लखनऊ-226001
CIN: U40101UP1980SGC005065

संख्या : ५३। /मा०सं०(०४) /उ०नि०लि० /२०१७-०३(०१)-मा०सं०(०४) /२०१६ दिनांक २२ मार्च, २०१७

कार्यालय ज्ञाप

उ०प्र०राज्य विद्युत उत्पादन निगम के पेंशनरों को मिल रहे चिकित्सा भत्ते की दर पुनरीक्षित करते हुए निगम के आदेश सं०-२१४/मा०सं०(०४) /उ०नि०लि० /२०१६ दिनांक ०९.०२.२०१६ द्वारा चिकित्सा भत्ते का भुगतान सम्बन्धित पेंशन इकाई द्वारा किया जा रहा था।

2. तदन्तर शासनादेश सं०-१/२०१६/४१/२४-पी-२-१६-सा(८४) /२०१४ /दिनांक १३.०१.१६ के अन्तर्गत पूर्ववर्ती उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत परिषद के दिनांक १४ जनवरी २००० के विद्यमान पेंशनरों एवं उक्त तिथि को कार्यरत ऐसे कार्मिकों जिन्हें पेंशन सुविधा अनुमन्य है तथा जो विभिन्न परियोजनाओं से दिनांक १४ जनवरी, २००० के उपरान्त सेवानिवृत्त हुये अथवा होंगे, की दिनांक ०१-०३-२०१६ से देय पेंशन, उपादान एवं पेंशन राशिकरण का भुगतान कोषागारों के माध्यम से किया जा रहा है।
3. प्रस्तर-२ में वर्णित व्यवस्था लागू हो जाने के पश्चात कतिपय व्यवस्था सम्बन्धी कठिनाईयों के कारण राजकीय कोषागारों द्वारा पेंशनर्स को देय चिकित्सा भत्ते को भुगतान नहीं हो पाया है।

अतः मामले में समुचित विचारोपरान्त निम्नलिखित निर्णय लिये गये हैं :-

- (क) चिकित्सा भत्ते का भुगतान पेंशन का अंग नहीं है। यह उ०प्र०राज्य विद्युत उत्पादन निगम के अधिष्ठान व्यय का एक घटक है। अतः सम्बन्धित पेंशन भुगतान इकाई, जहाँ से पेंशनर पूर्व में पेंशन प्राप्त कर रहे थे के द्वारा चिकित्सा भत्ते की धनराशि ₹० २००/- प्रतिमाह का भुगतान सम्बन्धित पेंशनर के बैंक खाते में सीधे अन्तरित कराया जायेगा।
- (ख) इस हेतु पेंशन वितरण इकाईयां निधि की मांग उ०प्र०राज्य विद्युत उत्पादन निगम, मुख्यालय, शक्ति भवन से करेंगी। परियोजना उक्त मांग, अधिष्ठान निधि की मांग के साथ, वित्त प्रबन्ध अनुभाग, उ०प्र० राज्य विद्युत उत्पादन निगम शक्ति भवन को प्रत्येक माह प्रेषित करेंगे। निगम की लेखा शाखा की वित्त प्रबन्ध इकाई द्वारा उक्त निधि परियोजना को निर्गत कर, उपलब्ध करायी जायेगी।
- (ग) उपरोक्तानुसार चिकित्सा भत्ते का भुगतान किये जाने के पूर्व सम्बन्धित पेंशन इकाई को यह समाधान करना होगा कि सम्बन्धित पेंशनर के विद्युत संयोजन पर देय विद्युत देयों का भुगतान कर दिया गया है।
- (घ) यदि पेंशनर द्वारा अवशेष विद्युत देयों का भुगतान कर दिया गया है तो चिकित्सा भत्ते का भुगतान उपरोक्त बिन्दु (क) के अनुसार किया जायेगा।

शेष पृष्ठ-२ पर.....

[Signature]
E:\Belal\My Drive\2019-2020\2020-Pensioner\

(2)

- (इ) यदि विद्युत देय अवशेष है, तो चिकित्सा भत्ते का समायोजन विद्युत देयों में कर लिया जायेगा।
(च) सम्बन्धित पेंशन आहरण इकाईयों द्वारा इस हेतु आवश्यक अभिलेखों का रख रखाव भली प्रकार किया जायेगा।


निदेशक(का०प्र० एवं प्रशा०)

संख्या: ५३। (1) मा०सं०(04) / उ०नि०लि० / 2017 तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :—

1. अध्यक्ष, उ०प्र० राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि०, शक्ति भवन, लखनऊ के निजी सचिव।
2. प्रबन्ध निदेशक, उ०प्र० राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि०, शक्ति भवन, लखनऊ के निजी सचिव।
3. निदेशक (तकनीकी/वित्त/कार्मिक प्रबन्धन एवं प्रशासन/परियोजना एवं वाणिज्य), उ०प्र०रा०वि०उ०नि०लि०, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ के स्टाफ आफिसर/निजी सचिव।
4. मुख्य महाप्रबन्धक(वित्त), उ०प्र० राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि०, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।
5. मुख्य अभियन्ता, ओबरा/अनपरा/पारीछा/हरदुआगंज/पनकी ताप विद्युत गृह, उ०प्र० राज्य विद्युत उ०नि०लि०, ओबरा/अनपरा(सोनभद्र)/पारीछा(झाँसी)/कासिमपुर (अलीगढ़)/पनकी(कानपुर)।
6. कार्यकारी महाप्रबन्धक(मा०सं०-1/6), उ०प्र० राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।
7. महाप्रबन्धक(मा०सं०)/मुख्य अभियन्ता/महाप्रबन्धक, वित्त/लेखा/ जानपद-नवपरियोजनाये-।।।/पर्यावरण एवं सुरक्षा/ पी०पी०ए०ए०/तापीय परिचालन/ईधन/नवीनीकरण एवं आधुनिकीकरण/वाणिज्य, उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि०, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।
8. कम्पनी सचिव, उ०प्र० राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि०, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।
9. मुख्य परियोजना प्रबन्धक, (प्रगति), उ०प्र०रा०वि०उ०नि०लि०, चतुर्थ तल, नवीन भवन, टी०सी०/46 वी, विभूति खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ-226010 को निगम की वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।
10. उप महाप्रबन्धक/अधी०अभि० (मा०सं०-02/03/04/05)/रिफार्म/टाण्डा वाइंडिंग एवं संसदीय कार्य/प्रशिक्षण/ तापीय परिचालन/जानपद, उ०प्र० राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि०, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।
11. अध्यक्ष/सचिव, विद्युत उत्पादन सेवा आयोग, उ०प्र०राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि०, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।
12. मुख्य लेखाधिकारी/उप मुख्य लेखाधिकारी, ओबरा/अनपरा/पारीछा/हरदुआगंज/पनकी ताप विद्युत गृह, उ०प्र० राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि०, ओबरा/अनपरा(सोनभद्र)/पारीछा(झाँसी)/हरदुआगंज (अलीगढ़)/पनकी(कानपुर)।
13. लेखाधिकारी (वेतन एवं लेखा), उ०प्र० राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि०, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।
14. मुख्य प्रबन्धक(वित्त एवं लेखा), उ०प्र० राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि०, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।
15. उप महाप्रबन्धक/ कार्मिक अधिकारी(औद्योगिक सम्बन्ध), उ०प्र० राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि०, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।
16. कट फाइल।

आज्ञा से,


(मनोज कुमार संकरन)
उप महाप्रबन्धक (मा०सं०-04)